# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 167/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00176)

1. भागसिंह पुत्र श्रीलाल
2. हेमसिंह पुत्र राजाराम
3. सहीराम पुत्र जौहरी
4. शीशराम पुत्र जंगली
5. शिवदयाल सिंह पुत्र चरणसिंह
6. महाराज सिंह पुत्र तेजाराम

समस्त जाति गुर्जर, निवासी खेडला बुजुर्ग, तहसील महुवा, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग, तहसील महुवा जरिये सचिव ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग, तहसील महुवा, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 11.08.2016 जिसके तहत ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महुवा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 में से 0.40 है0 भूमि चरागाह से खारिज कर अनाज भण्डार के जनउपयोगी भवन निर्माणात जरिये सचिव ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पंचायत समिति महुवा को आवंटित की गई।**

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।
3. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–11.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 11.08.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 07.02.2017 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ40 (72) ग्रावि/नरेगा/गोदाम निर्माण/2014 दिनांक 4.11.2015 की पालना में तहसीलदार (भूमिधारी) महवा ने अपने पत्र क्रमांक 486 दिनांक 10.05.2016 व 1427 दिनांक 14.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी महवा ने अपने पत्र क्रमांक 794 दिनांक 19.05.2016 व 1353 दिनांक 25.07.2016 के द्वारा ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 29.78 है0 में से 0.50 है० भूमि अनाज भण्डार हेतु ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा को आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग पं०स० महवा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 05.05.2016 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2016 द्वारा शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश,

ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 29.78 है० में से नोर्म्स के अनुसार 0.40 है० भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथा संशोधित के अनुशरण में चरागाह से खारिज की जाकर अनाज भण्डार के जनपयोगी भवन निर्माणार्थ (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग, पं०स० महवा) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 यथासंशोधित के निम्न प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 11.08.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट भागसिंह पुत्र श्रीलाल व अन्य ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध प्रकिया व नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व आम जनता को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई विधिवत जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पशुओं के बाबत एवं अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध होने बाबत सही जॉच किये बिना झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवंटन किया गया है। कानूनन जिन नियमों के तहत उक्त भूमि का अनाज भंडार हेतु आवंटन किया गया है उन नियमों के तहत अनाज भंडार हेतु आवंटन नही किया जा सकता था। अनाज भंडार हेतु आवंटन के लिये अलग से नियम बने हुए है जिनकी अधीनस्थ न्यायालय ने पालना नही की है और जिन नियमों के तहत आवंटन किया गया है उन नियमों के तहत अनाज गोदाम हेतु आवंटन करने का अधिकार नही होते हुए भी आवंटन करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायलय निरस्तनीय है। उक्त भूमि पशुओं को चराने के सार्वजनिक उपयोग की भूमि है गाँव में पशुओं के अनुपात में चरागाह भूमि कम है यदि कानूनन चरागाह भूमि का आवंटन किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य जगह से भूमि दी जाकर की जाती है अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके और आवंटन करने में कानूनी गलती की है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 11.08.2016 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये व बिना आम जनता को कोई सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना झूठी रिपोर्ट व पंचायत की एन ओ सी के आधार पर आवंटन किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी अपीलान्ट हेमसिंह दिनांक 23.01.2017 को उक्त भूमि में अपने पशुओं को चरा रहा था तो ग्राम पंचायत के सचिव ने आकर अपीलान्ट हेमसिंह को धमकी दी है उक्त भूमि जिसमें तुम पशु चरा रहे हो वह जगह तो अनाज भंडार के लिये आवंटित हो चुकी है इसलिये अब उक्त आवंटित शुदा भूमि में पशुओं को चराना बंद करो तो अपीलान्ट हेमसिंह ने सचिव से कहा कि यह भूमि कैसे आवंटित हो गयी गाँव में तो वैसे ही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

चरागाह की कमी है तो सचिव ने कहा कि हमने ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेकर आवंटन करवा ली है और अब उक्त भूमि में अनाज भंडार के गोदाम बनायेगे तब अपीलान्ट हेमसिंह ने सचिव को समझा बुझाकर भेजा और उक्त आवंटन बाबत पटवारी हल्का से तलाश किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त चरागाह खसरा नंबर 184/1 ग्राम खेडला बुजुर्ग में से 0.40 है० भूमि अनाज गोदाम हेतु दिनांक 11.08.2016 को आवंटित हुई है। अपीलान्ट हेमसिंह ने पटवारी से पूछा कि कैसे हुई तो पटवारी जी ने बताया कि जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ जाओ और वहाँ से नकल निकलवाओं तब जानकारी होगी तो अपीलान्ट हेमसिंह दिनांक 25.01.2017 को अपीलान्ट हेमसिंह ने दौसा जिला कलेक्टर कार्यालय में आकर उक्त आवंटन आदेश को तलाश करवाकर और नकल हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 27.01.2017 को मिली तब सर्वप्रथम हेमसिंह को उक्त निर्णय की जानकारी हुई व हेमसिंह ने अन्य अपीलान्ट को बताया तब अन्य अपीलान्ट को जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी उक्त निर्णय अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है ऐसे निर्णय की अपील करने की कोई मयाद नही होती है फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। उक्त ग्राम खेडला बुजुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 184/1 चरागाह भूमि है और अपीलान्ट एवं अन्य ग्रामवासियों को अपने पशुओं को चराने के काम में आती है गाँव में पशुओं के अनुपात में चरागाह भूमि कम है उक्त भूमि में अपीलान्ट के हित निहीत है। कानूनन चरागाह भूमि में प्रत्येक व्यक्ति का हित निहीत होने के कारण उक्त निर्णय दिनांक 11.08.2016 से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है और अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने के कारण उक्त निर्णय के खिलाफ अपील पेश करना चाहते है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 11.08.2016 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2016 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ40 (72) ग्रावि/नरेगा/गोदाम निर्माण/2014 दिनांक 4.11.2015 की पालना में तहसीलदार (भूमिधारी) महवा ने अपने पत्र क्रमांक 486 दिनांक 10.05.2016 व 1427 दिनांक 14.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी महवा ने अपने पत्र क्रमांक 794 दिनांक 19.05.2016 व 1353 दिनांक 25.07.2016 के द्वारा ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 29.78 है0 में से 0.50 है० भूमि अनाज भण्डार हेतु ग्राम पंचायत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा को आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग पं०स० महवा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 05.05.2016 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है। जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2016 द्वारा शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश, ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 29.78 है० में से नोर्म्स के अनुसार 0.40 है० भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथा संशोधित के अनुशरण में चरागाह से खारिज की जाकर अनाज भण्डार के जनपयोगी भवन निर्माणार्थ (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग, पं०स० महवा) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 यथासंशोधित के निम्न प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.01.2017 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ40 (72) ग्रावि/नरेगा/गोदाम निर्माण/2014 दिनांक 4.11.2015 की पालना में तहसीलदार (भूमिधारी) महवा ने अपने पत्र क्रमांक 486 दिनांक 10.05.2016 व 1427 दिनांक 14.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी महवा ने अपने पत्र क्रमांक 794 दिनांक 19.05.2016 व 1353 दिनांक 25.07.2016 के द्वारा ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 29.78 है0 में से 0.50 है० भूमि अनाज भण्डार हेतु ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा को आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग पं०स० महवा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 05.05.2016 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गई। जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2016 द्वारा शासन सचिव ग्रागीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश, ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूगिधारी) गहवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 29.78 है० में से नोर्म्स के अनुसार 0.40 है० भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथा संशोधित के अनुशरण में चरागाह से खारिज की जाकर अनाज भण्डार के जनपयोगी भवन निर्माणार्थ (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग, पं०स० महवा) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 यथासंशोधित के निम्न प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2016 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2016 को यथावत रखा जाता है।

( दीप्ति कछवाहा )
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर